क्रम संख्या–185

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 नवम्बर, 2012 ई0

कार्तिक 17, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 288/XXXVI(3)/2012/53(1)/2012

देहरादून, 08 नवम्बर, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड–1 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने "उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 2012" पर दिनांक 07 नवम्बर, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश संख्या 12 वर्ष, 2012 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 2012

{उत्तराखण्ड अध्यादेश सं० 12 वर्ष 2012}

{भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित}

उत्तराँचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतः, अब, राज्यपाल "**भारत का संविधान**" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 2012 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तराँचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003, जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में :–

(1) खण्ड (क) निकाल दिया जायेगा।

(2) खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्–

"(ञ) "तिमाही" से किसी कैलेन्डर मास के प्रथम दिवस को प्रारम्भ होने वाले तीन कैलेन्डर मास की अवधि अभिप्रेत है;"

(3) खण्ड (ठ) में शब्द "कर" के स्थान पर शब्द "मोटर वाहन कर" रख दिये जायेंगे।

(4) खण्ड (ठ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढा दिये जायेंगे; अर्थात् :–

(ठ–1) "विशेष कर" से धारा 4–क के अधीन अधिरोपित कर अभिप्रेत है;

(ठ–2) "उपकर" से धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अधिरोपित ग्रीन उपकर अभिप्रेत है;

(ठ–3) "स्कूल कैब" से किसी विद्यालय या कॉलेज के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उसके मान्यता प्राप्त अविभावक शिक्षण संघ के

नियंत्रणाधीन ऐसा मोटर कैब/मैक्सी कैब अभिप्रेत है, जिसका उपयोग विधार्थियों को विद्यालय/कॉलेज लाने–ले जाने के लिये होता है।

(5) खण्ड (ढ) निकाल दिया जायेगा।

धारा 4 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,–

(1) उपधारा (1) में–

(क) शब्द "जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट हैं" के स्थान पर शब्द "जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय" रख दिये जायेंगे।

(ख) द्वितीय परन्तुक में शब्द "जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ग" में विनिर्दिष्ट है" के स्थान पर शब्द "जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय" रख दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :–

"(1–क) इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय किसी दुपहिया, तीन पहिया मोटर कैब और 3000 किलोग्राम से अनधिक भार वाले माल वाहन का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नही किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, वार्षिक कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में वार्षिक कर के एवज में एक बार देय कर की ऐसी धनराशि, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, का भुगतान किया जा सकेगा।"

(3) उपधारा (2) व (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् –

"(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उपधारा (1–क) में विनिर्दिष्ट वाहनों से भिन्न किसी मालवाहन, निर्माण उपस्कर यानों, विशेष रूप से डिजायन किये गये यान, मोटर

कैब (दुपहिया, तीन पहिया मोटर कैब से भिन्न), और मैक्सी कैब का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, उस वाहन के सम्बन्ध में तिमाही कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में तिमाही कर के बजाय, ऐसी दर पर वार्षिक कर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।"

(4) उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारायें बढा दी जायेंगी; अर्थात्:–

"**(2–क)** इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (1–क) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट यानों से भिन्न किसी सार्वजनिक सेवा यान का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नही किया जायेगा, जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, मासिक कर का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में मासिक कर के बजाय तिमाही या वार्षिक कर की ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जा सकेगा।

(2–ख) जहाँ सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान से सम्बन्धित कोई पारस्परिक करार उत्तराखण्ड सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहाँ उपधारा (1–क) या उपधारा (2) के अधीन कर का उदग्रहण उक्त उपधाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे करार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार होगा :

परन्तु यह कि इस प्रकार उदग्रहित कर उस कर से अधिक नहीं होगा, जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उदग्रहित होता।"

(5) उपधारा (4) को निकाल दिया जायेगा।

(6) उपधारा (2-ख) के पश्चात निम्नलिखित उपधाराएं बढा दी जायेगी; अर्थात्:-

"(3) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उत्तराखण्ड राज्य में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहनों का संचालन तब तक नही किया जा सकेगा जब तक उनके सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, कर का भुगतान न कर दिया गया हो।

(4) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य में "डीलर" के कब्जे में विकय के प्रयोजनार्थ रखे गये वाहनों पर ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, कर का भुगतान देय होगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन देय कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के विविध उपाय लागू करने, शहरी परिवहन क्षेत्र में सुधार करने के लिये, राज्य में सडक पर चलने के लिये उपयुक्त वाहनों पर ग्रीन सेस के नाम से उपकर की ऐसी दर पर, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, अधिरोपित एवं एकत्र किया जायेगा।"

धारा 4-क का बढाया जाना

4. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढा दी जायेगी; अर्थात् :-

"4-क. कतिपय यानों के सम्बन्ध में विशेष कर का उदग्रहण

इस अधिनियम द्वारा या तदधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विशेष अवसरों यथा मेला और धार्मिक समागमों पर यात्रियों की सवारी के लिये या बारातों, पर्यटक समूहों या ऐसे अन्य आरक्षित समूहों, जिन्हे किसी भी नाम से पुकारा जाय, को ले जाने के लिये जारी अस्थायी परमिट द्वारा आच्छादित किसी सार्वजनिक सेवा यान का उत्तराखण्ड में प्रचालन धारा 4 के अधीन कर के साथ-साथ तब तक नही किया जायेगा जब तक कि, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दर पर, तत्सम्बन्ध में विशेष कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

धारा 5 का निकाला जाना — 5. मूल अधिनियम की धारा 5 निकाल दी जायेगी।

धारा 6 का निकाला जाना — 6. मूल अधिनियम की धारा 6 निकाल दी जायेगी।

धारा 7 का निकाला जाना — 7. मूल अधिनियम की धारा 7 निकाल दी जायेगी।

धारा 8 का संशोधन — 8. मूल अधिनियम की धारा 8 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :–

"(1) किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होनें से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार "उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" ज्ञात नाम से एक निधि स्थापित करेगी तथा धारा 4 की उपधारा (1), (1–क), (2), (2–क) एवं (2–ख) के अधीन उदग्रहीत कर के दो प्रतिशत के समतुल्य धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।"

धारा 8–क का बढाया जाना — 9. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढा दी जायेगी; अर्थात् :–

"8–क. राज्य शहरी परिवहन निधि — (1) शहरी क्षेत्र में परिवहन का ढांचागत विकास, सड़क सुरक्षा एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये राज्य सरकार राज्य स्तरीय शहरी परिवहन निधि स्थापित करेगी। धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन उदग्रहीत उपकर की धनराशि उक्त निधि से जमा की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन और उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।"

धारा 9 में संशोधन — 10. मूल अधिनियम की धारा 9 में :–

(1) उपधारा (1) में–

(क) खण्ड (दो) और (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे;

अर्थात् :–

"(दो) धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक वर्ष के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात अगले अनुवर्ती प्रत्येक वर्ष के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा;

(तीन) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक त्रैमास के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात अगले अनुवर्ती प्रत्येक त्रैमास के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा।"

(ख) खण्ड (चार) में–

(एक) उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात:–

"(क) धारा 4 की उपधारा (2–क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक कैलेण्डर माह के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात अगले अनुवर्ती प्रत्येक कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उससे पूर्व संदेय होगा;"

(दो) उपखण्ड (ख) में शब्द और अंक "धारा 6 के अधीन संदेय अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 4क के अधीन देय विशेष कर" रख दिये जायेंगे–

(ग) खण्ड (चार) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड (पॉच) बढा दिया जायेगा; अर्थात:–

"(पाँच) (क) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन संदेय कर मोटरयान के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के समय 30 दिन के लिये अग्रिम में देय होगा;

(ख) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन संदेय कर प्रत्येक वर्ष जनवरी के पन्द्रहवे दिन को या उसके पूर्व अग्रिम में देय होगा;

(ग) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन संदेय उपकर यथा स्थिति यान के रजिस्ट्रीकरण के समय, यान के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के समय या यान के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय देय होगा।"

(2) उपधारा (3) में शब्द "देय धनराशि के 25 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जैसी विहित की जाय" के स्थान पर शब्द "देय धनराशि से अनधिक" रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 10 में –

(1) उपधारा (1) में–

(क) खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

"(एक) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तराखण्ड के बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तराखण्ड में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन उत्तराखण्ड में उसके उपयोग व ठहरने के लिये कर का भुगतान न कर दिया गया हो;"

(ख) खण्ड (ग) में शब्द "धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "धारा 4 के अधीन कर" रख दिये जायेंगे और शब्द "चतुर्थ अनुसूची के प्रस्तर–2 के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे।

(ग) खण्ड (ग) का परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

(2) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी;

(3) उपधारा (3) में शब्द "देय कर व अतिरिक्त कर के साथ इनकी राशि के दो गुना के बराबर" के स्थान पर शब्द "देय कर के पाँच गुने के बराबर" रख दिये जायेगे;

(4) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी;

(5) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:–

"(5) जहाँ किसी परिवहन यान से भिन्न कोई मोटरयान परिवहन यान के रूप में चलता हुआ पाया जाय, उसके लिये ऐसा कर जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, देय होगा।"

धारा 11 का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

"11. प्रथम बार के दायित्व पर देय धनराशि — इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित के सिवाय किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में जब किसी कैलेण्डर मास के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम बार कोई कर देय होता है तो धारा 4 के अधीन देय कर प्रत्येक कैलेण्डर माह या उसके भाग, जिसके सम्बन्ध में कर देय है, के लिये समुचित तिमाही कर का एक तिहाई या समुचित वार्षिक कर का बारहवाँ भाग होगा।"

धारा 12 का संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा 12 में :–

(1) पार्श्वंकित शीर्षक में शब्द और अंक "धारा 4, 5 व 6 में समान रूप से प्रभावी" निकाल दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) में–

(क) शब्द "तिमाही कर की दर के एक तिहाई" के स्थान पर शब्द "यथा स्थिति, तिमाही कर के एक तिहाई या वार्षिक कर के बारहवें भाग" रख दिये जायेंगे;

(ख) वर्तमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक बढा दिया जायेगा, अर्थात–

"परन्तु अग्रतर यह कि जहाँ धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन किसी मोटरयान के लिये एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है वहाँ ऐसे यान के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के लिये 0.008 भाग के समतुल्य धनराशि वापस की जायेगी।"

(3) उपधारा (2) में–

(क) शब्द "अतिरिक्त कर" को निकाल दिया जायेगा;

(ख) परन्तुक में शब्द और अंक "कर का देनदार होगा मानों उक्त